

**बिहार - सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**(भू-अर्जन शाखा)**

**अधिसूचना**

पत्रांक...../भू-अर्जन, दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- विशनपुर, थाना न0- 86, थाना- कजरा, जिला-लखीसराय के अंचल सूर्यगढ़ा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कजरा थर्मल पावर स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा विशनपुर, थाना नं0- 86 अंचल- सूर्यगढ़ा, जिला- लखीसराय के अन्दर गैरमजरूआ मालिक/बकास्त भूमि का एक भू-खण्ड जो कि समाहर्ता, लखीसराय के द्वारा रैयती घोषित है, अपेक्षित है। जो मानक माप से कमोवेश रकवा 23.66½ एकड़ के बराबर होता है।

जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है :-

पूर्ण खेसरा:- 2963, 3447, 3471, 3528, 3561, 3599, 3643, 3648, 3724, 3725, 3726, 3756, 3653

जिसका निम्नांकित चौहदी के अन्दर है :-

उत्तर - 2964, 3448, 3034, 3520, 3565, 2944, सिमाना महरथपुर, सिमाना महरथपुर, 3652, सिमाना महरथपुर, 3723, 3723, 3758, 3652

दक्षिण - 2960, 3327, 3470, 3527, 3560, 3600, 3642, 3649, 3651, 3723, 3723, 3750, 3651

पूरब - 2961, 3442, 3473, 3525, 3668, 3601, 3645, 3686, 3652, सिमाना महरथपुर, 3723, 3723, 3762, 3652

पश्चिम - 2965, 3449, 3033, 3529, 3558, 3722, 3755, 3606, 3643, 3632, 3645, 3723, 3723

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो, भूमि का नजरी नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय लखीसराय में देखा जा सकता है, बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी और उनके कर्मी तथा इस परियोजना हेतु धारा 4(1) के अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारी तथा कर्मचारी को अधिनियम की धारा 2 में उपबन्धित यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करतें हैं। चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त 23.66½ एकड़ गैरमजरूआ मालिक/बकास्त जो कि समाहर्ता द्वारा रैयती घोषित है और उसका शीघ्र अर्जन किया जाना आवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-A का उपबन्ध भूमि पर लागु नहीं होगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

समाहर्ता,  
लखीसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के उम्-सचिव/अवर सचिव।

ज्ञापक 2690/भू-अर्जन, दिनांक 21-11-13.

- प्रतिलिपि:-** निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।
- प्रतिलिपि:-** उप-समाहर्ता, प्रमारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पॉच प्रतियों जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।
- प्रतिलिपि:-** समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

9/6/13  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

समाहर्ता,  
लखीसराय।

सरकार के उप-सचिव/अवर सचिव।